राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 3 (ख) (1) अलेसे–।।/ दिनांक :–5 जून 2013

आदेश संख्या 92 /2013–14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार पद पर पदौन्नति हेतु गठित विभागीय पदौन्नति समिति वर्ष 2000–01 की बैठक में श्री ओम प्रकाश, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट नंबर 471/81) जन्म तिथि 09.10.1960 का चयन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अपराध संख्या 102/99 एवं 103/99 पंजीबद्ध एवं प्रकरण के न्यायालय में लम्बित होने के कारण सीलबन्द रखा गया था। ।

चूंकि श्री ओमप्रकाश, के विरूद्ध लम्बित प्रकरण अपराध संख्या 103/99 में आरोपों से उन्मोदित करने एवं अपराध संख्या 102/99 में एफ आई आर समाप्त माने जाने के कारण आदेश संख्या एफ–4(ई)1(6)अलेसे–III/5787–5793 दिंनाक 7.7.2010 से निलम्बन से बहाल करते हुये निलम्बनकाल को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल मान लिये जाने के फलस्वरूप श्री ओम प्रकाश, के बन्द लिफाफे में रखे गये लेखाकार के पद पर चयन के नतीजे को खोलकर उक्त विभागीय पदौन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें वर्ष 2000–01 के लिए लेखाकार के रिक्त पद के विरूद्ध लेखाकार पद की वेतन श्रृंखला 5500–175–9000 (12) में पदौन्नत किया जाता है।

श्री ओम प्रकाश की वरिष्ठता वर्ष 2000–01 में चयनित लेखाकारों की सूची में श्री रामकृष्ण लखेरा (मेरिट नम्बर 470/81) तथा श्री रामचन्द्र चेजारा (मेरिट नम्बर 472/81) के मध्य रहेगी।

श्री ओमप्रकाश को लेखाकार के पद पर चयनित वर्ष की अन्तिम तिथि 31.03.2001 से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदौन्नति पद की वेतन श्रंखला में वेतन निर्धारण के केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री ओमप्रकाश, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपकोषालय बयाना, भरतपुर का पदस्थापन कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बयाना में लेखाकार के रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है ।

उक्त आदेश विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन/ लम्बित प्रकरणों के निर्णयाधीन होगा ।

निदेशक

क्रमांकः– एफ. 3 (ख) (1) अलेसे–।।/9744–9753 दिनांक :– 5 जून 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. कोषाधिकारी, भरतपुर
2. उपकोषाधिकारी बयाना, भरतपुर
3. श्री ओमप्रकाश, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपकोषालय बयाना, भरतपुर
4. अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–।।)
5. निजी सहायक निदेशक महोदय
6. गोपनीय/डी.पी.सी/कम्प्युटर अनुभाग
7. निजी पत्रावली/ रक्षित पंजिका

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)